**Seventeenth Loksabha**

>

Title: Regarding the rehabilitation of people displaced due to expansions work of NTPC at Tanda under the Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in U.P.

**श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) :** मान्यवर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

मैं बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और दलित, अल्पसंख्यक, शोषित तथा पीड़ित लोगों की आवाज को उठाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, एनटीपीसी द्वारा टांडा में विस्तारीकरण का जो काम हो रहा है, उसमें पुनर्वास एक्ट 2013 का उल्लंघन किया जा रहा है । उसकी आवाज को मैंने पिछले सत्र में भी यहां उठाया था ।

मान्वयर, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि तीन माह बाद भी वहां के पीड़ित लोग, जिनको पुनर्वास एक्ट के हिसाब से आवास नहीं दिया जा रहा था, उन पीड़ित लोगों की कोई भी समस्या नहीं सुनी गई । समस्या न सुनने के बावजूद उन लोगों ने खास तौर से हुसैनपुर सुदना गांव के लोगों के घरों को जमींदोज़ कर दिया । इसमें अंत्योदय समुदाय से आने वाले लोग, दलित और अल्पसंख्यक लोग, जिसमें कृष्णा वाइफ ऑफ राजितराम, अन्य ऐसे लोग हैं, उनके घरों को जमींदोज़ कर दिया गया है ।

मान्यवर, मैं इन बेसहाय लोगों से मिलने गया था । इनके बिलखते बच्चों को मैं सांत्वना देकर आया हूं कि लोक तंत्र के इस मंदिर में ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अगर अपनी सीट से बोलेंगे, तो आपका नाम स्क्रीन में आएगा । अगर आप अपनी सीट से नहीं बोलेंगे, तो आपका नाम स्क्रीन में नहीं आएगा, आपको संसद में पहचानेंगे नहीं । इसलिए आप अपनी सीट पर जाकर ही बोला करें । अभी बोल लें, आपको इस सीट से बोलने की इजाजत दी जाती है ।

**श्री रितेश पाण्डेय :** मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन बेसहाय लोगों से मैं मिलने गया था । इन लोगों को मैं सांत्वना देकर आया हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में उनको न्याय मिलेगा । मान्यवर, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से चलने वाली यह सरकार आज इन लोगों को पूरी तरह से …(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री गोपाल ठाकुर जी ।

**श्री रितेश पाण्डेय :** मान्यवर, अभी मेरे पास समय है । तीन मिनट का समय है ।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कौन सी नियम प्रक्रिया में लिखा है कि शून्य काल में तीन मिनट का समय मिलेगा । माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए । यह अध्यक्ष का अधिकार है कि वह आपको कितनी देर बोलने का मौका देते हैं ।